

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] No. 325] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

NEW DELHI FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

सं. 35/3/2015-खान-3.—भारतीय खान ब्यूरो के कामकाज की प्रभाविता में सुधार के लिए सरकार को सक्षम बनाने हेतु, भारतीय खान ब्यूरो पुनर्विचार समिति ने दिसम्बर 1979 में पेश अपनी रिपोर्ट में भारतीय खान ब्यूरो के लिए एक सलाहकार बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी। तद्नुसार, केंद्र सरकार ने अपने संकल्प सं. 23012/99/80-खान-6, दिनांक 12 जनवरी, 1981 द्वारा भारतीय खान ब्यूरो के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया।

पिछली बार संकल्प सं. 35/1/2011-खान 3, दिनांक 3 जुलाई, 2012 द्वारा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। तदनतर खान और खनिज विकास और विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा विधायी ढाँचे में बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। इस संदर्भ में, सरकार ने भारतीय खान ब्यूरो के लिए सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करने का निश्चय किया हैं जोकि नये परिदृश्य में भारतीय खान ब्यूरो को इसके कामकाज के लिए सज्जित करने हेतु सरकार को उचित सलाह दे सके।

अत: अब सभी पूर्व संकल्पों का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय खान ब्यूरो के सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन निम्नलिखित संरचना और कार्य के साथ किया जाता है:-

संरचना

अध्यक्ष

सचिव, खान मंत्रालय

5186 GI/2015 (1)

सदस्य

- 1. अपर सचिव, खान मंत्रालय।
- 2. आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव (आई बी एम प्रभारी), खान मंत्रालय।
- 3. निदेशक/उप सचिव (आई बी एम प्रभारी), खान मंत्रालय।
- 4. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
- 5. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता ।
- 6. महानिदेशक, खान सुरक्षा निदेशालय, धनबाद।
- 7. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, नई दिल्ली का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी।
- 8. पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी।
- 9. आणविक उर्जा विभाग का संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी।
- 10. प्रमुख सचिव/ खान एवं भूविज्ञान सचिव, ओडिशा सरकार ।
- 11. प्रमुख सचिव/ खान एवं भूविज्ञान सचिव, महाराष्ट्र सरकार ।
- 12. प्रमुख सचिव/ खान एवं भूविज्ञान सचिव, गुजरात सरकार ।
- 13.प्रमुख सचिव/ खान एवं भूविज्ञान सचिव, झारखंड सरकार ।
- 14.प्रमुख सचिव/ खान एवं भूविज्ञान सचिव, राजस्थान सरकार ।
- 15. प्रमुख सचिव/ खान एवं भूविज्ञान सचिव, कर्नाटक सरकार ।
- 16. प्रमुख सचिव/ खान एवं भूविज्ञान सचिव, गोवा सरकार ।
- 17. निदेशक, सी आई एम एफ आर, धनबाद।
- 18. निदेशक, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद।
- 19. प्रोफेसर , खनन विभाग, आई आई टी, खड़गपुर ।
- 20. अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली ।
- 21. अध्यक्ष/ सचिव, खनन क्षेत्र समित, सी आई आई।
- 22. अध्यक्ष/ सचिव, खनन क्षेत्र समित, फिक्की
- 23. अध्यक्ष/ सचिव, खनन क्षेत्र समित, ऐसोचेम।
- 24. अन्य कोई सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में।

सदस्य सचिव

तकनीकी सचिव, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

- 2. बोर्ड के कार्य का स्वरुप सलाहकारी होगा। यह भारतीय खान ब्यूरो और सरकार, दोनों को सलाह देगा। बोर्ड को यह स्वतंत्रता होगी कि वह सरकार से सीदे पत्राचार कर सके। भारतीय खान ब्यूरो बोर्ड को सचिवालय प्रदान करेगा। बोर्ड अपनी कामकाज के नियम और प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा परंतु सरकार एक वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक भी अपेक्षा रखेगी। बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे:-
- 1. नये कानून के बदलते परिदृश्य में आई बी एम के लिए कार्य रोड मैप पर पुनर्विचार और परामर्श देना, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, एस डी एफ का रॉल आउट।
- 2. 31 खनिजों के गौण खनिजों के रुप में हस्तांतरण के कामकाज आई बी एम के कामकाज पर परामर्श देना ।

- 3. ऑफ शोर ब्लाकों के आवंटन के लिए आई बी एम के कामकाज पर परामर्श देना।
- 4. प्रबंधन सूचना और प्रबंधन लेखाकरण की प्रणालियों पर परामर्श देना ।
- 5. भारतीय खान ब्यूरो के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीके और साधनों पर परामर्श देना ।

कार्यकाल

सलाहकार बोर्ड इसके गठन की तिथि से दो वर्ष के लिए होगा बशर्ते सरकार द्वारा इसका कार्यकाल बढा न दिया जाये।

सुधाकर शुक्ला, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF MINES RESOLUTION

New Delhi, the 9th December, 2015

No. 35/3/2015-M.III.—With a view to enable the Government to improve the effectiveness of the working of the Indian Bureau of Mines, the Indian Bureau of Mines Review Committee, in its Report submitted in December 1979, had recommended the formation of an Advisory Board for Indian Bureau of Mines. Accordingly the Central Government vide its Resolution No. 23012/99/80-M.VI dated the 12th January, 1981 constituted an Advisory Board for Indian Bureau of Mines.

Vide Resolution No.35/1/2011-M.III dated 3rd July, 2012 the Advisory Board had been last reconstituted. Subsequently there have been major changes in the legislative framework brought about by the MMDR (Amendment) Act 2015. In this context, the Government has decided to reconstitute the Advisory Board for the Indian Bureau of Mines in order to provide the appropriate advice to Government to equip IBM for its functioning in the new scenario.

Now, therefore, in supersession of all earlier resolutions, the Advisory Board of Indian Bureau of Mines is reconstituted with the following composition and function:-

COMPOSITION

CHAIRMAN

Secretary, Ministry of Mines.

MEMBERS

- 1. Additional Secretary, Ministry of Mines.
- 2. Economic Adviser/Joint Secretary(In-charge of IBM), Ministry of Mines.
- 3. Director/Deputy Secretary (In-charge of IBM), Ministry of Mines.
- 4. Controller General, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
- 5. Director General, Geological Survey of India, Kolkata.
- 6. Director General, Directorate of Mines Safety, Dhanbad.
- 7. Joint Secretary level officer of the Department of Science and Technology, New Delhi.
- 8. Joint Secretary level officer of the Ministry of Environment and Forest& Climate Change, New Delhi.
- 9. Joint Secretary level officer of the Dept.of Atomic Energy.
- 10. Principal Secretary/Secretary of Mines & Geology, Government of Odisha.

- 11. Principal Secretary /Secretary of Mines & Geology, Government of Maharashtra.
- 12. Principal Secretary / Secretary of Mines & Geology, Government of Gujarat.
- 13. Principal Secretary /Secretary of Mines & Geology, Government of Jharkhand.
- 14. Principal Secretary /Secretary of Mines & Geology, Government of Rajasthan.
- 15. Principal Secretary /Secretary of Mines & Geology, Government of Karnataka.
- 16. Principal Secretary / Secretary of Mines & Geology, Government of Goa.
- 17. Director, CIMFR, Dhanbad.
- 18. Director, Indian School of Mines University, Dhanbad.
- 19. Professor, Department of Mining, IIT, Kharagpur.
- 20. President, Federation of Indian Mineral Industries, NewDelhi
- 21. President/Secretary of Mining Sector Committee, CII
- 22. President/Secretary of Mining Sector Committee, FICCI
- 23. President/ Secretary of Mining Sector Committee, ASSOCHAM.
- 24. Any other member as special invitee.

MEMBER SECRETARY

Technical Secretary, Indian Bureau of Mines, Nagpur.

2. The functions of the Board will be advisory in character. It will advise both the Indian Bureau of Mines and the Government. The Board will be at liberty to correspond directly with Government. The Indian Bureau of Mines will provide the Secretariat of the Board. The Board should devise its own working rules and procedures but the Government would expect it to meet at least once a year. The functions of the Board will be as follows:-

FUNCTIONS

- 1. To review and advise on the Road Map for IBM in the changing scenario of new legislation, auctioning of mineral blocks, roll out of SDF.
- 2. To advise on the functioning of IBM in view of transfer of 31 minerals as minor minerals.
- 3. To advise on the functioning of IBM for allocation of Off Shore Blocks.
- 4. To advise on systems of Management Information and Management Accounting.
- 5. To advise on ways and means of making Indian Bureau of Mines functioning more effective.

TENURE

The Advisory Board will be for two years from the date of its constitution unless the term is extended by the Government.

SUDHAKER SUKHLA, Economic Adviser